DAV COLLEGE FOR GIRLS, YAMUNA NAGAR


7.1.9 - Sensitization of students and employees of the Institution to the constitutional obligations: values, rights, duties and responsibilities of citizens

Details of activities that inculcate values; necessary to render students in to responsible citizens

Legal literacy cell is working in the college under the direction of Haryana State Legal Service Authority (HSLSA). The core purpose of this cell is to create legal awareness among young minds and to identify the problems of their fellow citizens in the neighbourhood. This cell has been live, energetic throughout the year by its activities under the guidelines of Office of The Chief Judicial Magistrate cum Secretary, District Legal Services Authority, Yamuna Nagar at Jagadhari. To spread the awareness among the young girls about the various legal provisions which are related with the social issues like Domestic Violence, Dowry, Infanticide, feticide, sexual harassment etc. various activities are organized by the Legal Literacy Cell year 2021-22.

Extension lecture on "legal Literacy: Awareness on Nov 26, 2021

Legal literacy cell in collaboration with Deptt. of political science organised an Extension lecture on "legal Literacy: Awareness Nov 26, 2021. Around 80 students attended the extension lecture. The resource person was Adv. Sonia Rohila, District &session Court, Yamunanager. In her lecture Sonia informed the students about the Legal Aid Services and Sexual Harassment of women at workplace Act 2013.





यमुनानगर भास्कर 27-11-2021

छात्राओं को दी अधिकारों की जानकारी

डीएवी गर्ल्स कॉलेज में लीगल लिटरेसी सेल नेसंविधानिदवसपर किया कार्यक्रम

भास्कर न्यूज वम्नानगर

डीएवी गर्ल्स कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग व लीगल लिटरेसी सेल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर एक्सटेंशन लेक्बर का आयोजन किया गया। एडवोकेट सोनिया रोहिला मुख्य क्वता रहीं। कार्यवाहक प्रिसियल डॉ. आभा खेतरपाल व राजनीति शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉ. शिखा ने संयक्त रूप से अध्यक्षता की। सोनिया रोहिला ने कहा कि वर्ष 2015 में केंद्रीय सामजिक न्याय मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधनिक मल्यों को बढावा देने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने छात्राओं को मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी।

संविधान दिवस पर बच्चों के बीच



यमनानगर। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देती अधिवक्ता व अन्य वक्ता।

करवाई प्रतियोगिताः संविधान कुमार ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सार्थक में आयोजित कार्यक्रम में कहे। उन्होंने होगा जब हम सभी धर्म, जाति और विद्यार्थियों को संविधान से संबंधित निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर एक सर्विधान सभा, प्रारूप समिति, जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र व प्रस्तावना की जानकारी दी। डुइंग समाज के विकास में सहयोग देने का पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं प्रण लेंगे। ये शब्द राजकीय वरिष्ठ करवाई गई जिसमें कक्षा 11वीं की माध्यमिक विद्यालय जठलाना के खुशी प्रथम, 12वीं की विधि द्वितीय, प्रांगण में राजनीति विज्ञान प्रवक्ता खेंद्र 10वीं की पूजा तृतीय स्थान पर रहीं।


National Girl Child Day on 24-01-2022

"National Girl Child Day" was celebrated by the Legal Literacy Cell of the College on 24th January 2022. On this occasion two audio lectures which were prepared Ms. Sabhyata Bansal, Assistant Prof., (faculty of Laws) Dept.of Human Rights were shared with the student through the online mode. The first audio lecture was on "Laws for the Protection of Girl Child and 2nd lecture was on Government Schemes for Girl child.



Extension lecture on 08/03/2022 (International Women's Day)

On the occasion of International Women's Day, Legal literacy cell of the college organised an extension lecture on 08/03/2022. In this extension lecture Adv. Amita kumari, Dirsrict & Session Court YNR. was resource person. She in a very informative method elaborated about the constitutional legal rights of women and Domestic Violence Act 2005. Around 40 staff members and students actively participated in this lecture.





त में इटमारी बरी

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दो प्राध्यापिकाएं सम्मानित

वरी: महिला से के आरोपितों को या। जिसमें बाडी की पंडित व रूप निवासी ललित सुनवाई के दौरान को पहचानने से इसला अतिरिवत धीश राजिंद्र पाल प्रनाया है। शहर 28 मार्च 2020 ावासी तन्तु सिंह दर्ज किया था। कायत में तन्त्र 8 मार्च की शाम वह अपनी चाची नी कालोनी जा गुरुद्वारा के पास क पर दो युवक थ से मोबाइल गए। पुलिस ने कर जांच शुरू र जसविंद्र सिंह ले में गिरफ्तार त को प्रोडक्शन उताछ की, तो ार कर ली थी।



डीसी पार्थ गुप्ता व एसपी कमलदीप गोयल प्राध्यापिका को सम्मानित करते हुए। 🌞 प्रववता।

जागरण संवाददाता, यमुनानगरः डीएवी गर्ल्स कालेज में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लीगल लिटरेसी सेल. वूमन सेल, आइसीटी एकेडमी व आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल की ओर से एक्सटेंशन लेक्चर व वेबिनार का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन लेक्चर में एडवोकेट अंकिता कुमारी व वेबिनार में ईबीएस क्वालिटी एसोसेंस ओरेक्ल मुंबई की डायरेक्टर रेखा अलारी मुख्य वक्ता रहीं। कार्यवाहंक प्रिंसिपल डाक्टर आभा खेतरपाल. सेल कनवीनर डा. मीनाक्षी सैनी. आइक्वैक को-ओडिनेटर डा. रचना सोनी, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान विभाग अध्यक्ष डा. शिखा सैनी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता द्वारा वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डा. सुरिंद्र कौर व अर्थशास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डा. अनीता मोदिगल को सम्मानित किया।

एडवोकेट अंकिता ने महिलाओं के कानून व अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम सफल बनाने में डा. मीनू गुलाटी, डा. योगिता गुप्ता, पूजा सिंदवानी, सभ्यता बंसल, इंदू व आरती ने सहयोग दिया।

Report of Six Months Certificate course in Human Rights

Department of Human Rights conducts a Six Month Certificate Course in Human Rights. This course can be opted by the students of BA $3^{\rm rd}$ with optional subject of Political Science. In the session 2021-22, 45 students of BA $3^{\rm rd}$ with optional subject of political science have opted completed this course successfully.


YAMUNA NA to Kurukshetra Univer		
to Kurukshetra Univer	The second second	
and the or Property of a second of a drope	any Kurukshetra	
ed by State Legislatur		
kamisha		
an Kumar		
S Obtain	ned Minimum Pass	Maximum Marks
RY 51		10.0
ст 32	•	7.0
ES STAG		12.0
a Fishts the	***	
s) <u>Eghty</u> the	S.56	
	tement Of	Marks Marks RY 51 CT 32.


INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CELL 2021-2022

January 5th, 2022

IPR committee in collaboration with department of Human Rights and Value Education organised online poster making competition on the topic Intellectual Property Rights as part of its endeavour to spread awareness among students about intellectual property. Competition was adjudged by Dr. Meenu Jain Asso. prof Deptt. of Economics and Mr. Vikas Walia, HOD Deptt. of Fine Arts.








MAY 31,2022

The Intellectual property cell and Deptt. Of Human Rights and Value Education of DAV College For Girls organized an Extension Lecture on May 31, 2022, by Dr. Sushila Devi Chauhan, Associate Professor, Department of Law, K.U.K, under the convenorship of Dr. Shikha Saini, HOD Deptt. Of Political Science, DAV College For Girls, YNR. Dr. Chauhan gave very elaborative and informative lecture about the need for protection of intellectual property rights of a person in the web based world of today. Almost every country that has a dependence on international trade takes strong measures to protect their intellectual property rights and so is the case with India. Around 60 students of Political Science and Human Rights actively participated in the lecture.





वैश्वीकरण के दौर में बढ़ा बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्वः डॉ सुशीला चौहान

पल पल न्यूज: यमुनानगर, 6 जून (सुशील पडित)। डीएवी गर्ल्स कॉलेज के मानवाधिकार विभाग व आइपीआर सेल की ओर से बीद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया। जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लॉ विभाग की प्रोफंसर डॉ. सुशीला चौहान मुख्य वक्ता थीं। कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. आभा खेतरपाल व आइपीआर सेल इंचार्ज डॉ. शिखा सैनी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

डॉ. सुशीला चौहान ने खत्राओं को भारतीय संविधान से जुड़े कई तब्ब्हों से अवगत कराया। उन्होंने मौलिक अधिकार व संपत्ति के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में बौद्धिक संपदा अधिकार की महत्ता बढ़ गई है।

इसलिए हर व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार हमारी मानवीय सोच व आंतरिक प्रतिभा पर आधारित होते हैं। लेखक व आर्टिस्ट के कार्य को सुरक्षित करने के लिहाज से बौद्धिक संपदा अधिकार बनाए गए हैं। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट व साहित्यक चोरी के बारे में बताया। किसी भी रचना में दस प्रतिशत तक साहित्यक चोरी मान्य है। उन्होंने कहा कि अपनी रचना के अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। लेखन के क्षेत्र मे सारा काम स्वयं करने पर अच्छी पहचान बनती है। अगर दूसरी जगहों से साहित्य लेकर लेखन किया है, तो पहचान नहीं बन पाती। इसके अलावा उन्होंने पेंटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन व ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने



कहा कि आइडिया कॉपीराइट के तहत नहीं आता, जब आइडिया को अभिक्यिक का रूप दे दिया जाता है, तो वह कॉपीराइट को श्रेणो में आ जाता है। कॉपीराइट हमें एक्सक्लुसिव राइट प्रदान करते हैं। कॉपीराइट का समय 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। डॉ. शिखा सैनी ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार इनोवेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसकी वजह से आर्थिक सुधार होता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभाग की प्राध्यापिका सभ्यता बंसल, आरती पंवार, सोशल साइंस विभाग से इंदू व इतिहास विभाग की सरिता ने सहयोग